रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264183
CG-DL-E-27062025-264183

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2780] नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 2025/आषाढ़ 4, 1947
No. 2780] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2025/ASHADHA 4, 1947

वाणिज्य एव उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
[विदेश व्यापार महानिदेशालय]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2025

सं. 17 /2025–26

विषयः फार्मा ग्रेड चीनी हेतु निर्यात नीति में संशोधन–के संबंध में।

का.आ. 2846(अ).— समय–समय पर यथा सं”ोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–II (निर्यात नीति), के अध्याय 17 के तहत निम्नलिखित निर्यात नीतिगत शर्त में तत्काल प्रभाव से सं”ोधन करती है।

आइटीसी (एचएस) कोड	मौजूदा निर्यात नीतिगत शर्त	संशोधित निर्यात नीतिगत शर्त
17011490 --- अन्य 17019990 --- अन्य	1. चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और ऑर्गेनिक चीनी) का निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन अगले आदे”ों तक प्रतिबंधित हैः	1. चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और ऑर्गेनिक चीनी) का निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन अगले आदे”ों तक प्रतिबंधित हैः

	(i) चीनी का निर्यात चीनी निदे''ालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा केवल विनिर्दिष्ट अनुमति के साथ अनुमत है। (ii) चीनी के निर्यात हेतु आव''यक अनुमति के लिए विस्तृत प्रक्रिया खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा अलग से अधिसूचित की जाएगी। 2. तथापि, सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ हेतु चीनी का निर्यात निम्नलिखित शर्त के अधीन मुक्त है:– उद्‌गम प्रमाणपत्र अपर महानिदे''ाक विदे''ा व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। निर्यातकों को वास्तविक निर्यात का विवरण (जैसे मात्रा, मूल्य, गंतव्य, विदे''ाी खरीदार का नाम और पता आदि) अपर महानिदे''ाक विदे''ा व्यापार, मुम्बई के साथ–साथ एपीडा नई दिल्ली को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यह समय–समय पर डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित मात्रात्मक अधिकतम सीमा के अधीन होगा। 3. तथापि, टीआरक्यू के तहत यूएसए को चीनी का निर्यात निम्नलिखित शर्त के अधीन है:– कोटा एपीडा, नई दिल्ली द्वारा एपीडा द्वारा अधिसूचित किए जाने वाली निर्धारित प्रक्रियाओं और संचालन दि''ानिर्दे''ाों के अनुसार संचालित किया जाएगा। निर्यातकों को 10 / 2015–20 20 / 2015–20 36 / 2023 24.05.2022 07.09.2015 18.10.2023 वास्तविक निर्यात का विवरण (जैसे मात्रा, मूल्य, गंतव्य, विदे''ाी खरीदार का नाम और पता आदि) एपीडी, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। उद्‌गम प्रमाणपत्र यदि अपेक्षित हो, तो अपर महानिदे''ाक विदे''ा व्यापार, मुंबई द्वारा जारी किया जाएगा। यह डीजीएफटी द्वारा समय–समय पर अधिसूचित मात्रात्मक अधिकतम सीमा के अधीन होगा। 4. तथापि, टीआरक्यू, के तहत यूके को चीनी का निर्यात निम्नलिखित शर्त के अधीन है: यूके को टीआरक्यू मदों के	(i) चीनी का निर्यात चीनी निदे''ालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा केवल विनिर्दिष्ट अनुमति के साथ अनुमत है। (ii) चीनी के निर्यात हेतु आव''यक अनुमति के लिए विस्तृत प्रक्रिया खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा अलग से अधिसूचित की जाएगी। 2. तथापि, सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ हेतु चीनी का निर्यात निम्नलिखित शर्त के अधीन मुक्त है:– उद्‌गम प्रमाणपत्र अपर महानिदे''ाक विदे''ा व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। निर्यातकों को वास्तविक निर्यात का विवरण (जैसे मात्रा, मूल्य, गंतव्य, विदे''ाी खरीदार का नाम और पता आदि) अपर महानिदे''ाक विदे''ा व्यापार, मुम्बई के साथ–साथ एपीडा नई दिल्ली को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यह समय–समय पर डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित मात्रात्मक अधिकतम सीमा के अधीन होगा। 3. तथापि, टीआरक्यू के तहत यूएसए को चीनी का निर्यात निम्नलिखित शर्त के अधीन है:–कोटा एपीडा, नई दिल्ली द्वारा एपीडा द्वारा अधिसूचित किए जाने वाली निर्धारित प्रक्रियाओं और संचालन दि''ानिर्दे''ाों के अनुसार संचालित किया जाएगा। निर्यातकों को 10 / 2015–2020 / 2015–20 36 / 2023 24. 05.2022 07.09.2015 18.10.2023 वास्तविक निर्यात का विवरण (जैसे मात्रा, मूल्य, गंतव्य, विदे''ाी खरीदार का नाम और पता आदि) एपीडी, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। उद्‌गम प्रमाणपत्र यदि अपेक्षित हो, तो अपर महानिदे''ाक विदे''ा व्यापार, मुंबई द्वारा जारी किया जाएगा। यह डीजीएफटी द्वारा समय–समय पर अधिसूचित मात्रात्मक अधिकतम सीमा के अधीन होगा। 4. तथापि, टीआरक्यू, के तहत यूके को चीनी का निर्यात निम्नलिखित शर्त के अधीन है: यूके को टीआरक्यू मदों के निर्यात हेतु

	निर्यात हेतु कोटा कार्यान्वयन एजेंसी के अनुसार एपीडा, नई दिल्ली द्वारा प्रचालित किया जाएगा।	कोटा कार्यान्वयन एजेंसी के अनुसार एपीडा, नई दिल्ली द्वारा प्रचालित किया जाएगा। **5. तथापि, फार्मा ग्रेड चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित निर्यात प्राधिकार–पत्र के तहत अनुमति दी जाएगी, जो निम्नलिखित सुरक्षा उपायों के अधीन है–** **i. एक वित्तीय वष् में कुल निर्यात 25,000 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होगा।** **ii. संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारो द्वारा जारी वैध औशध विनिर्माण लााइसेंस को अनिवार्य प्रस्तुत करना; और** **iii. वास्तविक निर्यात के समय पर फार्मा ग्रेड चीनी विनिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करने वाली एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से अपेक्षित परीक्षण रिपोर्ट और प्रमाणन प्रस्तुत करना।**

इस अधिसूचना का प्रभावः प्रति वित्तीय वर्ष कुल 25,000 मीट्रिक टन तक फार्मा ग्रेड चीनी का निर्यात, प्रतिबंधित निर्यात प्राधिकार–पत्र के तहत वास्तविक फार्मा निर्यातकों को अनुमति दी जाएगी।

[फा. सं. 01/91/191/025/एएम23/ईसी–34622]

अजय भादू, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

[Directorate General of Foreign Trade]

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2025

No. 17 /2025-26

Subject: Amendment in Export Policy for Pharma Grade Sugar -reg.

S.O. 2846(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the following Export policy condition under Chapter 17 of Schedule-II (Export Policy), ITC (HS) 2022 with immediate effect:

ITC (HS) Code	Existing Export Policy Condition	Revised Export Policy Condition
17011490 --- Other 17019990 --- Other	1. Export of Sugar (Raw Sugar, White Sugar, Refined Sugar and Organic Sugar) is Restricted till further orders subject to the following conditions:-	1. Export of Sugar (Raw Sugar, White Sugar, Refined Sugar and Organic Sugar) is Restricted till further orders subject to the following conditions:-

	(i) export of sugar is allowed only with specific permission from Directorate of Sugar, Department of Food and Public Distribution (DFPD), Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (ii) Detailed procedure for issue of necessary permissions for export of sugar will be notified separately by Department of Food and Public Distribution (DFPD)	(i) export of sugar is allowed only with specific permission from Directorate of Sugar, Department of Food and Public Distribution (DFPD), Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (ii) Detailed procedure for issue of necessary permissions for export of sugar will be notified separately by Department of Food and Public Distribution (DFPD)
	2. However, Export of Sugar to EU under CXL Quota is free subject to the following condition: - The Certificate of Origin shall be issued by Additional DGFT, Mumbai. The exporters shall be required to furnish the details of actual exports (viz. quantity, value, destination, name &address of foreign buyer etc.) to the Additional DGFT, Mumbai as well as to APEDA, New Delhi. This will be subject to quantitative ceiling notified by DGFT from time to time.	2. However, Export of Sugar to EU under CXL Quota is free subject to the following condition: - The Certificate of Origin shall be issued by Additional DGFT, Mumbai. The exporters shall be required to furnish the details of actual exports (viz. quantity, value, destination, name &address of foreign buyer etc.) to the Additional DGFT, Mumbai as well as to APEDA, New Delhi. This will be subject to quantitative ceiling notified by DGFT from time to time.
	3. However, Export of Sugar to USA under TRQ subject to following condition: - The quota will be operated by APEDA, New Delhi as per the modalities and operational guidelines to be notified by APEDA. The exporters shall be 10/2015-20 20/2015-20 36/2023 24.05.2022 07.09.2015 18.10.2023 required to furnish the details of actual exports(viz. quantity, value, destination, name &address of foreign buyer etc.) to the APEDA, New Delhi. The Certificate of Origin, if required, shall be issued by Additional DGFT, Mumbai. This will be subject to quantitative ceiling notified by DGFT from time to time.	3. However, Export of Sugar to USA under TRQ subject to following condition: - The quota will be operated by APEDA, New Delhi as per the modalities and operational guidelines to be notified by APEDA. The exporters shall be 10/2015-20 20/2015-20 36/2023 24.05.2022 07.09.2015 18.10.2023 required to furnish the details of actual exports(viz. quantity, value, destination, name &address of foreign buyer etc.) to the APEDA, New Delhi. The Certificate of Origin, if required, shall be issued by Additional DGFT, Mumbai. This will be subject to quantitative ceiling notified by DGFT from time to time.
	4. However, Export of Sugar to UK under TRQ subject to following condition: - The quota will be operated by APEDA, New Delhi as the implementing agency for export of TRQ items to UK.	4. However, Export of Sugar to UK under TRQ subject to following condition: - The quota will be operated by APEDA, New Delhi as the implementing agency for export of TRQ items to UK. **5. However, Export of Pharma Grade Sugar shall be permitted under a Restricted Export Authorization, subject to the following safeguards –** i. **Total Exports in a financial year shall not exceed 25,000 MTs**

		ii. **Mandatory submission of a valid drug manufacturing license issued by the concerned State Licensing Authority; and** iii. **Submission of requisite test reports and certification from NABL accredited laboratories confirming compliance with Pharma Grade Sugar specifications at the time of actual exports.**

Effect of This Notification: Export of Pharma Grade Sugar, up to a total of 25,000 MTs per financial year, shall be permitted to Bonafide Pharma Exporters against a Restricted Export Authorisation.

[F. No. 01/91/191/025/AM23/EC/E-34622]

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade Ex- Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.27 10:04:15 +05'30'